

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा</u> प्रकरण संख्या <u>26 / 2026</u> रे0फो0 राजस्थान राज्य बनाम नर्बदा (1/1)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की
	दिनांक : 19.03.2026 सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त नर्बदा अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक रुककर आवाजें लगाई गई, लेकिन अभियुक्त नर्बदा की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण में अभियुक्त की अनुपस्थिति का कोई कारण दर्शित नहीं है। प्रकरण इस न्यायालय का टारगेट केस है। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त नर्बदा की नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके जब्त सरकार किए जाते हैं। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 491 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पृथक से कार्यवाही खोली जावें। अभियुक्त नर्बदा को जरिये गिरफ्तारी वारंट तलब किया जावें। गिरफ्तारी वारंट पर प्रकरण इस न्यायालय का टारगेस केस होने से आवश्यक रूप से तामील करवाए जाने का लालस्याही से नोट अंकित किया जावें। पत्रावली वास्ते हाजरी मुलजिम दिनांक 25.03.2026 को पेश हो।	